राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

(साधारण बीमा निधि)

द्वितीय तल, डी—ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर—302005

e-mail add.gis.sipf@rajasthan.gov.in Phone No. 0141-2740219

क्रमांक :—F6(a)01/GIF/Govt.Emp./Part V/2023-24-00185 /2341-55 दिनांक :— 24/07/2025

परिपत्र

विषयः— **राज्य कर्मचारियों हेतु संचालित समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2025—26 के सम्बन्ध में संशोधित दिशा—निर्देश।**

संदर्भः— **वित्त (बीमा) विभाग, राजस्थान के आदेश क्रमांक प.4(72)वित्त राजस्व/94लूज—।।। दिनांक 09.04.2025 एवं क्रमांक प.4(72)वित्त राजस्व/94लूज—।।। दिनांक 22.07.2025**

प्रसंगः— **कार्यालय साधारण बीमा निधि, जयपुर के परिपत्र क्रमांक F6(a)01/Gif/Govt Emp./Part v/2023-24/315-74 दिनांक 17.04.2025**

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों, जिनमें जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों के कर्मचारी एवं विभिन्न स्वायतशासी संस्थाओ में राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक भी शामिल है। विभिन्न दुर्घटनाओं में होने वाली क्षतियों एवं मृत्यु के जोखिम को बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रासांगिक परिपत्र दिनांक 17.04.2025 जारी किया गया था।

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) योजनान्तर्गत इच्छुक कार्मिक पॉलिसी वर्ष 2025—26 के लिए प्रीमियम कटौती हेतु कार्मिक द्वारा निर्धारित प्रीमियम श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी का चयन किया जाना था एवं संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अप्रेल देय माह मई, 2025 के कार्मिक के वेतन से चयन की गई श्रेणी अनुसार जीपीए प्रीमियम की कटौती की जानी थी अथवा किसी कारणवश माह अप्रैल,2025 का वेतन आहरित नहीं होने के स्थिति में चयनित श्रेणी अनुसार एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31.05.2025 तक साधारण बीमा निधि में जमा करवाये जाने थे।

उक्त योजना में कार्मिक द्वारा घोषणा पत्र पूर्व में प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिक के अप्रैल देय माह मई, 2025 के वेतन से चयनित श्रेणीनुसार जीपीए प्रीमियम की कटौती नहीं गई तथा कार्मिकों द्वारा 31.05.2025 तक भी ई—ग्रास चालान के माध्यम से जीपीए प्रीमियम राशि जमा नहीं करवायी गई। उक्त के संबंध में इच्छुक कार्मिक जिनकी प्रीमियम की कटौती किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई है, उन कार्मिकों के लिए वित्त (बीमा) विभाग, के पत्रांक प.4 (72) वित्त राजस्व/94 लूज—iii दिनांक 22.07.2025 के अनुसार एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम राशि ई—ग्रास चालान के द्वारा बजट मद 8011—00—107—01—00 में जमा कराने हेतु अवधि दिनांक 31.07.2025 तक बढ़ायी जाती है।

Signature valid

Digitally signed by Ritu Nanda
Designation: Additional Director
Date: 2025.07.23 15:34:58 IST
Reason: Approved

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे इच्छुक कार्मिकों द्वारा पॉलिसी वर्ष 2025–26 के लिए अपनी जीपीए प्रीमियम राशि जमा करवा दी गई है। (ई–ग्रास चालान जमा कराने की प्रक्रिया परिशिष्ट A पर संलग्न है)

नोटः– समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्य सभी नियम एवं शर्तें प्रासांगिक परिपत्र के अनुसार रहेंगी।

सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

–ह0–
(ऋतु नन्दा)
अतिरिक्त निदेशक,
साधारण बीमा निधि,
जयपुर।

क्रमांक :–F6(a)01/GIF/Govt.Emp./Part V/2023-24-00185 /2341–2355 दिनांक :– 24/07/2025

प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को निशुल्क प्रकाशनार्थ।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा, वित्त भवन, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
10. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
11. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
12. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें। साथ ही श्रेणी अनुसार कार्मिकों को एसआईपीएफ पोर्टल पर श्रेणी चयन तथा मनोनयन का विकल्प उपलब्ध करवाये जावें।
13. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, संभाग कार्यालय............................
14. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र की प्रति आपके अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

13\. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by R... Nanda
Designation: Addit... al Director
Date: 2025.0... 3... :34:58 IST
Reason: Appro...

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (राज्यकर्मी) की प्रीमियम राशि कर्मचारी द्वारा जमा करवाने की प्रक्रिया।

कार्मिक अपनी एसएसओ लॉगिन के माध्यम से एसआईपीएफ पोर्टल पर Click करें।

⇓

एसआईपीएफ पोर्टल के Dashboard पर Scheme में GPA पर Click कर Deposit पर Click करें।

⇓

कार्मिक अपने डाटा की जांच कर **GPA** हेतु चयनित श्रेणी अनुसार राशि (700/1400/2100) भरे तथा चालान जमा मोड, City, पिनकोड आदि भरकर Remarks में अपना विवरण भरकर Save पर Click करें। इसके बाद E-Grass Portal पर Re-Direct हो जायेंगे।

⇓

E-Grass पर बैंक का चयन कर Payment option का चयन करें।

Offline Mode का चयन करने पर चालान डाउनलोड कर संबंधित बैंक में जमा करावें।

Online Mode का चयन करने पर राशि ऑनलाइन जमा कर ई–चालान की रसीद प्राप्त करें।

नोटः–समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के प्रीमियम राशि की कटौती वेतन से नहीं होने की स्थिति में ही कर्मचारी अपने स्तर से चालान जमा करावें।

Signature valid

Digitally signed by Ritu Nanda
Designation: Additional Director
Date: 2025.07.23 1?:34:58 IST
Reason: Approved